कपड़े पर कर वृद्धि फरवरी तक टली, जूते महंगे होंगे

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

राज्यों की आपत्ति के बाद सरकार ने शुक्रवार को कपड़ा उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला फरवरी के लिए टाल दिया। लेकिन एक जनवरी से जूते-चप्पल (फुटवियर) सात फीसदी महंगे हो जाएंगे। अभी इसकी दर पांच फीसदी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक हुई। इसके बाद सीतारमण ने कहा कि कपड़ा उत्पादों पर पहले की तरह पांच फीसदी की ही दर से शुल्क लगेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह को कपड़ों पर शुल्क की दर के बारे में विचार करने को कहा गया है। मंत्री समूह को फरवरी 2022 के अंत तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

कपड़े पर ही चर्चा: वित्त मंत्री ने साफ किया कि बैठक में सिर्फ कपड़े पर जीएसटी बढ़ाने पर ही चर्चा हुई। कपड़े पर कर बढ़ाने का मामला छोटे कारोबारियों से लेकर उपभोक्ताओं तक को प्रभावित करने वाला है, इसलिए इस पर जीएसटी को लेकर राज्यों के साथ विस्तार से चर्चा हो रही है। फुटवियर पर भी शुल्क वृद्धि का फैसला हुआ था। लेकिन इस पर शुल्क टालने के आग्रह को नहीं माना गया। यानी जूते-चप्पल पर शनिवार से 12% शुल्क लगेगा।

नई दिल्ली में शुक्रवार को बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ● सोनू मेहता

आपत्ति क्या

दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं तमिलनाडु आदि राज्य कपड़ों पर जीएसटी दर बढ़ाने का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इससे आम आदमी एवं कारीगरों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

असर क्या

देश के कपड़ा उत्पादन में असंगठित क्षेत्र का 80% योगदान है। जीएसटी बढ़ने से बुनकरों को नुकसान होता, कारोबार पर भी असर पड़ता। कोरोना से पहले ही नुकसान हो चुका है।

कर कितना

फिलहाल मानव-निर्मित रेशे पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है। वहीं, इससे बने धागे पर दर 12 फीसदी और बने कपड़े के मामले में पांच फीसदी कर लगता है।

> कपड़े पर कर वृद्धि टालने से कारोबारी खुश पेज 12